मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक 14 मार्च, 2013

कमांक एफ–5–15/2011/तेरह : राज्य शासन ने एतद्द्वारा निर्णय लिया है कि स्थाई कृषि पम्प उपभोक्ताओं के लिए फ्लेट रेट रुपये 1200 प्रति हार्स पावर प्रतिवर्ष को दिनांक 01 अप्रेल, 2013 से लागू किया जावे। इन उपभोक्ताओं को वर्ष में दो बार कमशः अप्रेल तथा अक्टूबर में रुपये 600/– प्रति हार्स पावर के मान से विद्युत देयक जारी किए जावे। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार देय विद्युत देयक की शेष राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रुप में मासिक किस्तों में देय होगी। उपभोक्ताओं द्वारा जमा की गई राशि पर देय ब्याज शासन द्वारा दी गई सब्सिडी में समायोजित समझा जावेगा। निर्धारित तिथि पर देयक का भुगतान नहीं किए जाने पर ऐसे देयकों में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर सरचार्ज लगाया जावेगा।

2. विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा कृषकों को जारी होने वाले बिल के प्रारुप में समुचित संशोधन किए जावे, जिसमें कृषक द्वारा देय राशि तथा राज्य शासन द्वारा देय अनुदान का उल्लेख हो।

3. फ्लेट रेट की उपरोक्त योजना में सम्मिलित उपभोक्ताओं के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2013–14 में अन्य सभी उपभोक्ताओं को राज्य शासन द्वारा देय सब्सिडी की दरें वित्तीय वर्ष 2012–13 अनुसार ही रहेगी। इन उपभोक्ताओं पर म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारण में वृद्धि अनुसार विद्युत बिल देय होगा। स्पष्ट किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए समस्त कृषि उपभोक्ताओं के लिए फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट का भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

4. विद्युत वितरण कंपनियों को राज्य शासन द्वारा इस योजना के लागू होने पर देय सब्सिडी राशि का मासिक भुगतान किया जावेगा। इस हेतु विद्युत वितरण कंपनियां मासिक देयकों के समुचित दस्तावेज सब्सिडी क्लेम करने हेतु मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी के माध्यम से राज्य शासन को प्रस्तुत करेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग

पृ0कमांक एफ 5–15/2011/तेरह

भोपाल,दिनांक 14 मार्च, 2013

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रबंध संचालक,म0प्र0 पावर मैनेजमेंट कंपनी, जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. आयोग सचिव, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/भोपाल/इंदौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग